P/4013/UHC/
2/1/04

कार्यालय नगर आयुक्त
नगर निगम, कानपुर ।

पत्रांक :– 1098/3/15

दिनांक :– 02-01-04

आदेश

कानपुर नगर निगम में करारोपण हेतु अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में एक रूपता लाने के दृष्टिकोण से निम्नानुसार निर्माण ——— लागत की गणना की जायेगी ।

1. अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में भूमि की कीमत की गणना जिलाधिकारी कानपुर द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सर्किल रेट में दिये गये प्राविधानों के अनुसार की जायेगी । किन्तु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य सरकारी निगमों में करारोपण के समय इन विभागो द्वारा वास्तविक रूप से रजिस्ट्री में उल्लिखित भूमि के मूल्य को अधार मानकर करारोपण की कार्यवाही की जायेगी । Imp

2. भवन के निर्माण का मूल्यांकन मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग लखनऊ द्वारा समय–समय पर जारी किसी क्षेत्रफल के आधार पर जैसा कि वर्तमान तालिका के संलग्नक 1/1 व 2 में दिया गया है, के अनुसार स्वीकृत करते हुये गणना की जायेगी । इन दरों में आन्तरिक जल, मल व बिजली का कार्य सम्मिलित नहीं है अतः संलग्नक 1/1 व 2 की दरों में संलग्नक 4 के अनुसार इन सुविधाओं हेतु 21.50 प्रतिशत अलग से जोड़कर कुल निर्माण लागत निकाली जायेगी । उदाहरण स्वरूप संलग्नक 1/1 के अनुसार उच्च अनावासीय भवन का मूल्य रू0 4380/– प्रति वर्गमीटर होने पर 21.50 प्रतिशत जल, मल व बिजली हेतु जोड़कर भवन का निर्माण मूल्य 4380 + 941.70 = 5321.70 प्रतिवर्ग मीटर की दर से गणना की जायेगी ।

3. भवन का मूल्यांकन भवन की आयु तथा वर्तमान निर्माण स्थिति के अनुसार डैप्रीसियेशन देते हुये निर्धारित की जायेगी । डैप्रीसियेशन केवल भवन निर्माण पर ही अनुमन्य होगा ।

(एस0पी0मिश्र)
नगर आयुक्त

पत्रांक :–

1– अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) को सूचनार्थ ।
2– मुख्य अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3– समस्त उप नगर आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(एस0पी0मिश्र)
नगर आयुक्त

ST
Send photo copy of the ... also
05/01/2004

UHC
3/1/04